12/संख्या-1276/11-सं0वि0क0नि0-7-2014-700(306)/2014

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक, निबन्धन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 16 दिसम्बर, 2014

विषय- स्टाम्पवाद योजन की अनुमति तथा स्टाम्पवाद निर्णीत होने पर अपील योजित करने की प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3796/शि0का0लख0/2014, दिनांक 01.11.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्टाम्पवादों के निर्णीत होने के उपरान्त अपील योजित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था की जाती है:-

2. स्टाम्पवादों में पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति कलेक्टर स्टाम्प के निर्णय पारित करने के दिनांक से दो कार्यदिवस के अन्दर सम्बन्धित उप निबन्धक को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. सम्बन्धित उप निबन्धक द्वारा साप्ताहिक रूप से ऐसे प्राप्त आदेशों को संकलित करते हुए प्रत्येक सोमवार अथवा अवकाश की स्थिति में अगले कार्यदिवस को सम्बन्धित उप महानिरीक्षक निबन्धन को निम्न सूचनाओं के साथ प्रेषित किया जायेगा:-

(क) कलेक्टर स्टाम्प को संदर्भित वाद में इंगित स्टाम्प कमी।

(ख) कलेक्टर स्टाम्प द्वारा अपने आदेश में आरोपित स्टाम्प कमी (आरोपित ब्याज एवं अर्थदण्ड यदि कोई हो के अतिरिक्त)

(ग) उप निबन्धक द्वारा प्रेषित संदर्भण/गोपनीय आख्या।

(घ) कलेक्टर स्टाम्प न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति।

4. सम्बन्धित उप महानिरीक्षक निबन्धन उपरोक्त आख्या प्राप्त होने पर उसका तत्काल परीक्षण करेंगें एवं यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि प्रदत्त सूची में इंगित वादों में से किसी वाद में समुचित स्टाम्प शुल्क की अदायगी नहीं हुई या विलेख का वर्गीकरण गलत हुआ

http://shasanadesh.up.nic.in

है तो वह अपील का आधार तैयार कर सम्बन्धित साक्ष्यों/कागजातों सहित शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) से अपील दायर करने के सम्बन्ध में अभ्युक्ति एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त करेंगें।

5. शासकीय अधिवक्ता की अभ्युक्ति के साथ उप महानिरीक्षक निबन्धन, मण्डलायुक्त के समक्ष अपील दाखिल करने पर निर्णय लेने हेतु विविध अभ्युक्ति एवं अन्य संगत अभिलेखों सहित आख्या प्रस्तुत करेंगें।

6. मण्डलायुक्त, आख्या प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर मामलों का परीक्षण करेंगें और मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, के समक्ष अपील दाखिल करने की वांछनीयता के सम्बन्ध में विनिश्चय करेंगें।

7. मण्डलायुक्त के निर्णय को उप महानिरीक्षक निबन्धन, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन के माध्यम से उप निबन्धक को यथा आदेश कार्यवाही करने हेतु अग्रसारित करेंगें।

8. उपर्युक्त के अनुश्रवण हेतु उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन तथा समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में एक रजिस्टर रखा जायेगा, तथा माहवार अनुश्रवण सहायक महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या यथोक्त, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप निबन्धक/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/उप महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in